

[2023] 3 एस. सी. आर. 649

ए.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड v.

बाबूलाल लेडी एंड ऑर्स।

(2020 का विविध आवेदन संख्या 1308

बी.

(2016 की सिविल अपील संख्या 232) 24 मार्च, 2023

[एम. आर. शाह और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

सी.

सेवा कानून:वेतन/मजदूरी-भुगतान-अपीलकर्ता द्वारा चीनी कारखाने के कर्मचारियों के बकाया का भुगतान, नीलामी की गई संपत्ति से बिक्री आय में से-अपीलकर्ता बैंक ने कुल देय राशि का 25 प्रतिशत इस न्यायालय में जमा किया और औद्योगिक न्यायालय में कुछ राशि भी जमा की-अपीलकर्ता बैंक ने तब उस राशि को ब्याज के साथ कलेक्टर के खाते में स्थानांतरित करने की मांग की, जिसमें उचित पहचान के बाद चीनी कारखाने के प्रत्येक कर्मचारी की पात्रता के अनुसार राशि वितरित करने का निर्देश दिया गया-आयोजित:चीनी कारखाने के संबंधित कर्मचारियों के वेतन/वेतन के लिए देय और देय राशि जो उन्हें और/या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान की जानी है-इसके अलावा, संबंधित कर्मचारियों के बैंक खाते के विवरण सहित पूरा विवरण यह देखने के लिए आवश्यक है कि राशि सही व्यक्ति के पास जाती है-इस प्रकार, कुछ निर्देश जारी किए जाते हैं-इस न्यायालय में जमा की गई राशि के साथ अर्जित ब्याज और औद्योगिक न्यायालय में जमा की गई राशि को कलेक्टर को हस्तांतरित किया जाए ताकि कर्मचारियों के उक्त कर्मचारियों/कानूनी उत्तराधिकारियों को उचित पहचान और दावों के सत्यापन के बाद वितरित किया जा सके-अपीलकर्ता बैंक ने जमा की गई अतिरिक्त राशि को वापस लेने की भी अनुमति दी।

डी.

ई.

एफ.

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2016 की सिविल अपील संख्या 232 में 2020 का विविध आवेदन संख्या 1308।

जी.

भारत के उच्चतम न्यायालय के 2016 के सी. ए. संख्या 232 में दिनांकित 04.12.2019 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

एच.

649 ए.

650

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

2016 की सिविल अपील संख्या 232 में 2021 की विविध आवेदन डायरी संख्या 1755।

एम. वाई. देशमुख, सुश्री मंजीत कृपाल, अद्वीतिया शर्मा, अमितकुमार पाठक, सत्यजीत ए. देसाई, सुश्री अनघा एस. देसाई, सत्य काम शर्मा, गजानन एन. तीर्थकर, सौरभ आनंद, धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा, राजू सोनकर, सुश्री ममता श्रीवास्तव, श्रीमती पूजा सोनकर, चंदर शेखर अशरी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

बी.

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एम. आर. शाह, जे.

देरी को माफ कर दिया गया।

सी.

1. 2016 की सिविल अपील संख्या 232 में 2020 के विविध आवेदन संख्या 1308 द्वारा, मूल अपीलकर्ता-आवेदक-द महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने रु। अपीलार्थी-बैंक द्वारा इस माननीय न्यायालय में कलेक्टर, भंडारा के खाते में ब्याज के साथ 3.52 करोड़ रुपये जमा किए गए। आगे यह प्रार्थना की जाती है कि कलेक्टर, भंडारा को उचित पहचान के बाद चीनी कारखाने के प्रत्येक कर्मचारी की पात्रता के अनुसार राशि को आनुपातिक रूप से वितरित करने का निर्देश दिया जाए।

डी.

1.1 अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार जमा की गई अतिरिक्त राशि को निकालने के लिए बैंक को अनुमति देने वाले बैंक द्वारा एक दूसरे I.A./M.A को प्राथमिकता दी जाती है-बैंक अब तक अर्जित ब्याज के साथ, यानी रु। 4,95,94,737/-। 2021 की एम. ए. डायरी संख्या

1755 में, बैंक ने अनुरोध किया है कि वह प्रत्यर्थी-चीनी कारखाने के कर्मचारियों, जिनके कानूनी बकाया लंबित हैं, को बकाया और उनके दावों के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दे ताकि उनके कानूनी बकाया को साबित किया जा सके और इस माननीय न्यायालय द्वारा 2016 की सिविल अपील संख्या 232 में पारित आदेश के मद्देनजर उनके कानूनी बकाया को जमा करने और चीनी कारखाने से कुल बकाया की सारणी के साथ उनके बैंक खातों के आवश्यक विवरण सहित इस तरह का विवरण प्रस्तुत किया जा सके।

ई.

एफ.

2. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 2016 की सिविल अपील संख्या 232 में दिनांकित एक विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने चीनी कारखाने के कर्मचारियों के अपीलकर्ता-बैंक से राशि प्राप्त करने के अधिकार को बरकरार रखा है और यह अभिनिर्धारित किया है कि आवेदक/अपीलकर्ता बैंक को नीलाम की गई संपत्ति से बिक्री आय में से कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करना होगा। हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहां तक अपीलकर्ता का दायित्व है-बैंक केवल कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करेगा।

जी.

एच.

651

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड v. बाबूलाल लेडी एंड ऑर्स। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

वेतन/मजदूरी और जहां तक कर्मचारियों के संबंध में अन्य सभी वैधानिक बकाया जैसे भविष्य निधि, उपदान, बोनस आदि का संबंध है, दायित्व बाद के खरीदार पर निर्धारित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त अपील के लंबित रहने के दौरान और अंतरिम आदेश पारित करते समय, इस न्यायालय ने आवेदक/अपीलकर्ता बैंक को मजदूरी की कुल राशि का 25 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया और उसी के अनुसार, आवेदक/अपीलकर्ता बैंक ने रु। इस न्यायालय के पास 3.52 करोड़ रुपये हैं और इसे सावधि जमा में निवेश किया गया है। यह बताया गया है कि ब्याज के साथ, राशि रु। 4,95,94,737/-। यह रिकॉर्ड में आया है कि इससे पहले औद्योगिक न्यायालय, भंडारा द्वारा पारित आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता बैंक ने रु। 13,89,84,334/- "सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, भंडारा" के पक्ष में दिनांक 11.02.2021 के मांग मसौदे द्वारा।

बी.

सी.

3. इस प्रकार, परिसमापन में चीनी कारखाने के संबंधित कर्मचारियों के वेतन/वेतन के लिए देय और देय राशि का भुगतान उन्हें और/या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को (यदि मूल कर्मचारी की मृत्यु हो गई है) उपरोक्त राशि में से (रु। 13,89,84,334/- + रु. 4,95,94,737/-), जिसका भुगतान कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार उचित सत्यापन और पहचान पर किया जाना है, जबकि 23.08.2011 पर कुल रु। 13,89,84,334/- कर्मचारियों को देय और देय है, जिसमें वैधानिक बकाया अर्थात् भविष्य निधि, उपदान, बोनस आदि के लिए देय और देय राशि शामिल है। हालाँकि, साथ ही, यह भी देखना आवश्यक है कि राशि सही व्यक्ति को जाती है, जो उसे देय और देय राशि प्राप्त करने का हकदार है और उस उद्देश्य के लिए संबंधित कर्मचारियों के बैंक खाते के विवरण सहित पूरा विवरण होगा।

डी.

ई.

4. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने और सिविल अपील संख्या 232/2016 में इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवेदनों का निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटारा किया जाता है:-

एफ.

((i) रुपये की राशि। अपीलार्थी-बैंक द्वारा जमा किए गए 3.52 करोड़ रुपये, इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश के अनुसार जमा किए गए ब्याज के साथ जमा किए गए ब्याज को कलेक्टर, भंडारा के खाते में स्थानांतरित किया जाए ताकि कलेक्टर, भंडारा इसे संबंधित कर्मचारियों/चीनी कारखाने के कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को परिसमापन में वितरित कर सकें।

जी.

((ii) रु. की राशि। औद्योगिक न्यायालय, भंडारा में उपार्जित ब्याज के साथ 13,89,84,3374/- भी देय होगा।

एच.

652

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

कलेक्टर, भंडारा के खाते में कलेक्टर, भंडारा को हस्तांतरित;

(iii) कलेक्टर, भंडारा को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे दावों की उचित पहचान और सत्यापन पर चीनी कारखाने के संबंधित कर्मचारियों/कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को वेतन/मजदूरी के संबंधित कर्मचारियों के बकाया का भुगतान/वितरण करें और चीनी कारखाने के संबंधित कर्मचारियों/कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों के बैंक खाते में सीधे जमा/भुगतान किया जाए।

बी.

(iv) चीनी कारखाने के संबंधित कर्मचारियों/कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को यथाशीघ्र लेकिन 31 दिसंबर, 2023 के बाद परिसमापन में वितरित की जाने वाली उपरोक्त राशि, जैसा कि यहां देखा गया है, अत्यधिक पारदर्शी तरीके से और परिसमापन में चीनी कारखाने के संबंधित कर्मचारियों/कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों के दावों की उचित पहचान और सत्यापन के साथ।

सी.

डी.

(v) चीनी कारखाने के संबंधित कर्मचारियों/कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को उपरोक्त रूप से परिसमापन में भुगतान करने के बाद शेष राशि, यदि कोई हो, कानून के अनुसार निपटाई जाएगी और शेष राशि का भुगतान अपीलार्थी-बैंक को बैंक के बकाया के लिए किया जाएगा।

ई.

इसके साथ, वर्तमान आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

निधि जैन

आवेदनों का निपटारा किया गया।

(सहायक: शाश्वत जैन, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.